



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 8110 / NR-4/10

भोपाल, दिनांक / 07/10

प्रति,

02/08/10

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
जिला पंचायत समस्त.....(म.प्र.)

विषय:- वित्त वर्ष 2010-11 हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (बारहमासी सड़क योजना-ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना) अंतर्गत नरेगा प्रशासनिक व्यय की राशि जारी किए जाने एवं प्रशासनिक व्यय की सीमा विषयक।

- संदर्भ:- (1) कार्यालयीन पृष्ठांकन क्र. 4022/ए दिनांक 23/04/2010
(2) बारहमासी सड़क योजना परिपत्र-5 पत्र क्र. 3630 दिनांक 14/04/2010
(3) कार्यालयीन पत्र क्र. 4023 दिनांक 23/04/2010

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के नरेगा योजना में अनुमत्य प्रशासनिक व्यय के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा समस्त कार्यपालन यंत्री कार्यालय के लिए राशि रुपये 559.01 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था एवं संदर्भित पत्र क्र. 3 द्वारा दिए गए आवंटन को किन-किन गतिविधियों में व्यय किया जाना था, यह इंगित किया गया था। उक्त आवंटन कार्यपालन यंत्री, पीएमयू, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय के लिए 6 माह के मान से मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय की मांग अनुसार किया गया था।

मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय द्वारा उपरोक्त मांग में कतिपय संशोधन करते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की गई जिसे कि जिलों ने पत्र क्र.1 के कॉलम क्र. 12 द्वारा जिलों में जारी किया जा रहा है। यह राशि विमुक्ति वित्त वर्ष 2010-11 के लिये प्रभावशील रहेगी। संदर्भ क्र.-2 की प्रक्रिया अनुसार तत्काल उक्त राशि को कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नियमानुसार बैंक द्वारा उपलब्ध करावें।

किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय की गतिविधियों का वर्णन संलग्न पत्रक-2 अनुसार कार्यपालन यंत्री, पीएमयू, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय हेतु अनुमोदित किया गया है। प्रशासनिक व्यय की पूर्व निर्धारित सीमा 6 माह के मान से प्रदाय की गई थी, जिसको निरस्त कर पत्रक क्र. 2 के कॉलम क्र. 4, 6, 8 एवं 10 में संशोधन अनुसार अंकित कर प्रदाय किया जा रहा है जो कि पत्रक-2 पर स्वयं स्पष्ट है। गतिविधि डी-2 (वाकथू) एवं डी-5 (कन्सल्टेंसी) में पत्रक 2 पर आवंटन नहीं लिखा है, यह आवंटन पत्रक 1 के क्रमशः कॉलम क्र. 4 एवं 5 पर अंकित है।

प्रशासनिक व्यय संबंधी जानकारी जिन प्रपत्रों में पूर्व में चाही गई थी, वह पत्रक यथावत रहेगे। कृपया उपरोक्तानुसार संलग्न पत्रक क्र.1 के कॉलम क्र. 12 अनुसार राशि कार्यपालन यंत्री कार्यालय को परिपत्र क्र. 5 की प्रक्रिया अनुसार जारी करने का कष्ट करें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री भोपाल स्वयं उनके कार्यालय, अधीक्षण यंत्री के कार्यालय एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के कार्यालय के लिए निर्धारित धनराशि व्यय करेंगे एवं कार्यपालन यंत्री भोपाल को छोड़कर शेष कार्यपालन यंत्री स्वयं उनके कार्यालय संबंधित अधीक्षण यंत्री एवं पीएमयू कार्यालय के लिए धनराशि व्यय कर सकेंगे।

निर..

मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा की मांग पर एवं उनके चाहे अनुसार एवं ग्रामीण संपर्क सड़क योजना को प्रोजेक्ट मोड में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियों हेतु नियमों, निर्देशों एवं प्रक्रिया के पालन के उपरांत आवश्यक व्यवस्थाएं/क्रय करने की अनुमति दी जाती है।

1. कम्प्यूटर व्यवस्था गतिविधि सी 1 के अंतर्गत

निम्नानुसार कम्प्यूटर क्रय की अनुमति दी जाती है :-

कार्यालय	कार्यालयों की संख्या	आवश्यक अनुमत वयवस्थाएं
कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	51	1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 यूपीएस क्रय किये जा सकेंगे।
नवीन पीएमयू कार्यालय	14	1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 यूपीएस क्रय किये जा सकेंगे।
अधीक्षण यंत्री कार्यालय	10	1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 यूपीएस क्रय किये जा सकेंगे।
मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा प्रकोष्ठ विकास आयुक्त कार्यालय विध्याचल भवन भोपाल	1	4 कम्प्यूटर, 4 प्रिंटर, 4 यूपीएस क्रय किये जा सकेंगे।

2. वाहन व्यवस्था गतिविधि एफ 7 एवं एफ 8 के अंतर्गत

कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन एवं कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये निम्न सूची अनुसार वाहन (जीप) किराये से लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्यालयों की संख्या	वाहन प्रति कार्यालय	रिमार्क
1	नवीन परियोजना प्रबंधन इकाई (परियोजना प्रबंधन इकाई क्र-2)	14	03	परियोजना प्रबंधक हेतु 01 वाहन एवं सहायक परियोजना प्रबंधकों हेतु 02 वाहन।
2	प्रथम चरण के 500 किमी. से अधिक लंबाई की सड़कों वाले जिलों के कार्यपालन यंत्री (परियोजना प्रबंधन इकाई क्र.-1)	14	02	कार्यपालन यंत्री हेतु 01 वाहन एवं अनुविभागीय अधिकारियों हेतु 01 वाहन
3	प्रथम चरण के 500 किमी. से कम लंबाई की सड़कों वाले जिलों के कार्यपालन यंत्री (परियोजना प्रबंधन इकाई क्र.-1)	37	03	कार्यपालन यंत्री हेतु 01 वाहन एवं अनुविभागीय अधिकारियों हेतु 02 वाहन
4	मण्डल कार्यालय	10	01	अधीक्षण यंत्री हेतु
5	मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा प्रकोष्ठ विकास आयुक्त कार्यालय विध्याचल भवन भोपाल	01	04	इस प्रकोष्ठ में पदस्थ अधिकारियों हेतु 03 वाहन एवं पूल हेतु 01 वाहन

यह वाहन अस्थाई रूप से मान्य रहेगी। जहाँ पर अन्य किसी भी मद से वाहन व्यवस्था यदि पूर्व से ही प्रावधानित है तो यह प्रावधान लागू नहीं रहेंगे।

3. दूरभाष व्यवस्था—नवीन टेलीफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन व्यवस्था :-

निम्नानुसार दूरभाष/ इंटरनेट कनेक्शन लिया जा सकेगा:-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	संख्या
1	नव गठित पी.एम.यू. कार्यालय	14
2	प्रभारी तकनीकी सेल मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा प्रकोष्ठ कार्यालय विद्याचल भवन भोपाल।	01

टेलीफोन लेने का व्यय गतिविधि एफ-3 से एवं दूरभाष इंटरनेट कनेक्टिविटी का व्यय गतिविधि सी-2 से होगा। यह दूरभाष अस्थाई रूप से कार्यरत रहेंगे।

4. नवीन पीएमयू कार्यालयों हेतु भवन व्यवस्था गतिविधि एफ-6 के अंतर्गत

जिले में शासकीय भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में एवं नियमों एवं प्रक्रिया के पालन के उपरांत कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक दर पर लगभग 1200 वर्गफिट से 1500 वर्गफिट तक का भवन किराये पर लिया जा सकेगा। यह व्यवस्था अस्थाई रूप मान्य रहेगी।

5. आवश्यक फर्नीचर व्यवस्था गतिविधि एफ-24 के अंतर्गत

नियमानुसार निम्नानुसार फर्नीचर क्रय किया जा सकेगा :-

सामग्री का नाम	नवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जिनकी संख्या 14 है के लिए (एक जिला हेतु)	विकास आयुक्त कार्यालय में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा प्रकोष्ठ कार्यालय विद्याचल भवन भोपाल।
	मात्रा	मात्रा
अलमारी बड़ी	3	2
अलमारी छोटी	6	2
आफीसर्स टेबल	1	2
स्टाफ टेबल	9	2
कम्प्यूटर टेबल	1	4
बुक शेल्फ	1	1
स्टोरेज रैक	2	1
आफीसर्स कुर्सी	4	2
स्टाफ कुर्सी	8	6
फ्रंट कुर्सी	15	8

यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्यपालन यंत्री अनिवार्य रूप से नियमानुसार व्यय की एमआईएस सुनिश्चित करेंगे इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

बारहमासी सड़क योजना परिपत्र क्र.-5 का पालन अनिवार्य है एवं इस परिपत्र के उद्देश्यो हेतु ही कार्यपालन यंत्री द्वारा राशि व्यय की जा सकेगी। व्यय करने के पूर्व यह भी कार्यपालन यंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि इन कार्यों हेतु किसी भी अन्य मद/बजट लाईन से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

राशि व्यय करते समय आवश्यकता, औचित्य, सुविचारण, विश्लेषण एवं मितव्ययता एवं प्रचलित नियमों/निर्देशों का पालन करना एवं व्यय के अभिलेखों का संधारण, एवं लेखांकन करना एवं लेखों को नियमानुसार अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्पादित करना कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नियमानुसार व्यय हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित)

N. Saxena
31.7.10
(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक/ 8111 /NR-4/10

भोपाल, दिनांक /01/10
02/08/10

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल, की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त समस्त.....की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर उनकी टीप क्र. क्यू, दिनांक 09/07/2010 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रपत्र अनुसार प्रतिमाह व्यय की जानकारी से परिषद् मुख्यालय को माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अवगत करावे। व्यय की सूक्ष्म मासिक समीक्षा स्वयं के स्तर से भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री भोपाल की ओर उपर्युक्त निर्देश के साथ प्रेषित। आपके स्वयं के कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, एवं मुख्य अभियंता कार्यालय का भी निर्धारित गतिविधियों में आपके द्वारा नियमानुसार व्यय किया जाना है एवं मासिक जानकारी निर्धारित पत्रक में मुख्य अभियंता की ओर प्रेषित किया जाना है। पत्र में लिखे उपर्युक्त निर्देशों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त (भोपाल छोड़कर) की ओर उनके स्वयं के कार्यालय, पी.एम.यू. एवं अधीक्षण यंत्री हेतु राशि तत्काल प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक व्यय/कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रशासनिक मासिक जानकारी निर्धारित पत्रक में मुख्य अभियंता की ओर प्रेषित किया जाना है। पत्र में लिखे उपर्युक्त निर्देशों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रोजेक्टर मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट की ओर सूचनार्थ।

N. Saxena
31.7.10
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

क्र.	जिला	कार्यकारी कार्या हेतु	वाक्यू हेतु कार्यपालन यंत्री को	कन्सल्टेंसी हेतु कार्यपालन यंत्री को	कार्यपालन यंत्री को कुल आवंटन	पी.एम.यू. हेतु	अधीक्षण यंत्री कार्या हेतु	मुख्य अभियंता कार्या हेतु	कुल योग	पूर्व में प्रदाय राशि	शेष प्रदाय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RAJGARH	1325401	305850	5652108	7283359	2473529	0	0	9756888	1936500	7820388
2	SATNA	1325401	184440	3408451	4918292	2473529	0	0	7391821	1936500	5455321
3	SEONI	1325401	144937	2678445	4148783	2473529	0	0	6622312	1936500	4685812
4	UMARIA	1325401	170797	3156338	4652536	2473529	0	0	7126065	1936500	5189565
5	PANNA	1325401	154500	2855160	4335061	2473529	0	0	6808590	1936500	4872090
6	DAMOH	1325401	161100	2977128	4463629	2473529	0	0	6937158	1936500	5000658
7	BALAGHAT	1325401	133444	2466110	3924955	2473529	0	0	6398484	1936500	4461984
8	SAGAR	1325401	325275	6011082	7661758	2473529	924700	0	11059987	2331500	8728487
9	VIDISHA	1325401	217463	4016707	5561571	2473529	0	0	8035099.5	1936500	6098600
10	JABALPUR	1325401	198225	3663198	5186824	2473529	924700	0	8585053	2331500	6253553
11	RAISEN	1325401	235031	4343447	5903879	2473529	0	0	8377408	1936500	6440908
12	HOSHANGABAD	1325401	173730	3210530	4709661	2473529	924700	0	8107890	2331500	5776390
13	CHHINDWARA	1325401	187387	3462921	4975709	2473529	0	0	7449238	1936500	5512738
14	NARSINGHPUR	1325401	161625	2966830	4473666	2473529	0	0	6947385	1936500	5010885
15	ASHOK NAGAR	1325401	126600	2339568	3791569	0	0	0	3791569	524000	3267569
16	KATNI	1325401	114000	2106720	3546121	0	0	0	3546121	524000	3022121
17	REWA	1325401	146303	2703670	4175374	0	924700	0	5100074	919000	4181074
18	SHIVPURI	1325401	113475	2097018	3535894	0	0	0	3535894	524000	3011894
19	SHAHDOOL	1325401	214282	3959941	5499624	0	924700	0	6424324	919000	5505324
20	DHAR	2650802	53850	995148	3699800	0	0	0	3699800	1048000	2651800
21	MANDLA	1325401	91342	1686009	3104752	0	0	0	3104752	524000	2580752
22	KHARGONE	1325401	81788	1511433	2918622	0	0	0	2918622	524000	2394622
23	TIKAMGARH	1325401	98333	1617185	3240918	0	0	0	3240918	524000	2716918
24	GUNA	1325401	44925	830214	2200540	0	0	0	2200540	524000	1676540
25	SIDHI	1325401	79725	1473318	2878444	0	0	0	2878444	524000	2354444
26	SHEOPUR	1325401	47025	869022	2241448	0	0	0	2241448	524000	1717448
27	BETUL	1325401	129000	2363920	3838321	0	0	0	3838321	524000	3314321
28	JHABUA	1325401	29385	543035	1897821	0	0	0	1897821	524000	1373821
29	ANUPPUR	1325401	25425	469854	1820690	0	0	0	1820690	524000	1296690
30	SINGROLI	1325401	60975	1126818	2513194	0	0	0	2513194	524000	1989194
31	DINDORI	1325401	47850	884268	2257519	0	0	0	2257519	524000	1733519
32	ALIRAJPUR	1325401	31575	583506	1940482	0	0	0	1940482	524000	1416482

क्र.	जिला	कार्यकारी कार्या हेतु	वाकभू हेतु कार्यपालन यंत्रणे को	कल्याणदेवी हेतु कार्यपालन यंत्रणे को	कार्यपालन यंत्रणे को कुल आलेख	श्री.एम.यू. हेतु	अधीक्षण यंत्रणे कार्या हेतु	मुख्य अधिष्ठाता कार्या हेतु	कुल योग	पूर्व में प्रदाय राशि	शेष प्रदाय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	CHHATARPUR	1325401	176288	3257793	4759482	0	0	0	4759482	524000	4235482
34	EAST NIMAR	1325401	24787	458073	1808261	0	0	0	1808261	524000	1284261
35	BARWANI	1325401	26775	494802	1846978	0	0	0	1846978	524000	1322978
36	BURHANPUR	1325401	20482	378517	1724400	0	0	0	1724400	524000	1200400
37	UJAIN	1325401	108780	2010254	3444435	0	924700	0	4369135	919000	3450135
38	DEWAS	1325401	99188	1832985	3257574	0	0	0	3257574	524000	2733574
39	NEEMUCH	1325401	99075	1830906	3255382	0	0	0	3255382	524000	2731382
40	SHAJAPUR	1325401	159015	2938597	4423013	0	0	0	4423013	524000	3899013
41	MANDSAUR	1325401	97650	1804572	3227623	0	0	0	3227623	524000	2703623
42	MORENA	1325401	105079	1941925	3372405	0	924700	0	4297105	919000	3378105
43	SEHORE	1325401	99149	1832292	3256842	0	0	0	3256842	524000	2732842
44	GWALIOR	1325401	83062	1534995	2943458	0	924700	0	3868158	919000	2949158
45	RATLAM	1325401	98513	1820511	3244425	0	0	0	3244425	524000	2720425
46	BHOPAL	1325401	30375	561330	1917106	0	924700	0	7783900	6371000	4254606
47	BHIND	1325401	93983	1736797	3156180	0	0	0	3156180	524000	2632180
48	DATTA	1325401	53775	993762	2372938	0	0	0	2372938	524000	1848938
49	INDORE	1325401	33675	622314	1981390	0	924700	0	2906090	919000	1987090
50	HARDA	1325401	57863	1069299	2452563	0	0	0	2452563	524000	1928563
		67595451	5757172	106392825	179745447.5	34629406	9247000	7783800	231405654	55901000	175504654

बाराहमासी सड़क हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए विभिन्न स्तरो पर प्रशासनिक व्यय की सीमा

पत्रक-2

Activities	Code	कार्यपालन यंत्री		पीएमयू		अधीक्षण यंत्री		मुख्य अभियंता	
		पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है
HEC/ material etc.	A1	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	50000.00	50000.00
Advertisement./publicity/posterHoardings/pamphlets/ community mobilisation.	A2	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	500000.00	1000000.00
Purchase of news paper & journals etc.	A3	1200.00	1200.00	1200.00	1800.00	1200.00	1200.00	25000.00	50000.00
Exhibition	A4	5000.00	10000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	25000.00	25000.00
Photography	A5	2500.00	5000.00	2500.00	5000.00	2500.00	5000.00	25000.00	50000.00
Spreading awareness of scheme interaction with media.	A6	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	25000.00	25000.00
Hiring professional support of HEC	A7	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	25000.00	25000.00
Total of A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Training Activities		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Attending training/seminars and workshops in govt. institution/organisation in M. Pstate.	B1	5000.00	10000.00	5000.00	10000.00	5000.00	5000.00	100000.00	100000.00
To Undertake preparation and production of training modules, training literature, pamphlets, material , minorinstruments equipment etc.	B2	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	25000.00	100000.00
Hiring professional support of TRG	B3	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	25000.00	25000.00
Total of B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. MIS Activities		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of Computer hardware and software.	C1	25000.00	50000.00	25000.00	50000.00	25000.00	50000.00	150000.00	300000.00
Internet connectivity	C2	6000.00	6000.00	6000.00	10800.00	6000.00	6000.00	12000.00	10800.00
Purchase of stationery and computer consumable items	C3	6000.00	18000.00	6000.00	18000.00	6000.00	18000.00	25000.00	50000.00
Maintenance of Mis	C4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hiring Professional support of MIS	C5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total of C		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

बाराहमासी सड़क हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक व्यय की सीमा

पत्रक-2

Activities	Code	कार्यपालन यंत्री		पीएमयू		अधीक्षण यंत्री		मुख्य अभियंता	
		पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है	पूर्व में प्रदाय 6 माह हेतु	वर्तमान पूर्ण वर्ष के लिए प्रदाय जिसमें कि पूर्व में प्रदाय सम्मिलित कर लिया गया है
Payments to advocates for legal services/per case where council/scheme is one party.	F9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
Payments of audit fee.	F10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Payment of transaction fee to banks for disbursement of wages through BCM.	F11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Printing works of NREGS prescribed forms and registers only	F12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	1000000.00
House keeping such as/cleanliness/safety/loading and unloading	F13	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hosting lunch/dinner/snacks for invitee VIPs, experts and delegates attending meetings.	F14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
Purchase of justified books, journals and news letters.	F15	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	50000.00	500000.00
Purchase of stationery and computer consumable items/Photocopies	F16	12000.00	27000.00	12000.00	27000.00	12000.00	27000.00	50000.00	27000.00
purchase of office material, office equipment other miscellaneous, field/office equipments and apparatus.	F17	34070.00	54509.80	37500.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maintenance /repairs of officeequipments/machines/apparatus Furniture Computers & peripherals	F18	2500.00	5000.00	2500.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Translation work	F19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Printing of books, literature	F20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of photographic equipments and project including multimedia playears, projectors, pannels etc./Cinematic and display equipments/LCD- Audio Visual equipments/Camera, Handicam.	F21	5000.00	10000.00	5000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Innovative items.	F22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
To undertake pilot studies	F 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	2000000.00
Furniture for New Office	F24	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
Grant Total		524000.00	1325401.00	1412500.00	2473529.00	395000.00	924700.00	5452000.00	7783800.00